न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:— 02/2024
पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:— 30.05.2024

माधोलाल पुत्र रामनारायण जाति गूर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

वादी

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री सुनील कुमार जोशी वकील वादी
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय — दिनांक:— 30.05.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 453 के आराजी खसरा नं. 1109, 1112 कुल किता 02 कुल रकबा 1.3784 हैक्टेयर, खाता सं0 454 के आराजी खसरा नं. 1253, 1259 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है जिसमें खतौनी संख्या 453 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा व खतौनी संख्या 454 में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं सरकारी लगान जमा कराता चला आ रहा है। खतौनी संख्या 453 की आराजी वादी के अकेले के नाम है जो कि वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27/8/1982 को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर पूर्व खातेदार रामनारायण उर्फ नारायण पुत्र नाथूलाल जाति महाजन निवासी फागी से व खतौनी संख्या 454 की आराजी वादी व वादी के सगे भाई छोगालाल पुत्र रामनारायण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 2/3/1995 को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर पूर्व खातेदार जीमल खां पुत्र आसीन खां जाति मुसलमान (नीलगर) निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू से क्रय की थी। वादी ने क्रय करने के पश्चात उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया तब से आज तक वादी अपनी क्रय शुदा भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी स्व0 श्योदान के वंश के है जिनका सिजरा खानदान अनुसार वादी एवं छोगालाल दोनो स्व0 रामनारायण के पुत्र है तथा सगे भाई है तथा उक्त आराजी को हिस्से अनुसार बांट कर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 सांवता के अविवाहित फौत होने व वादी व स्व0 सावता साथ रहने व वादी के द्वारा स्व0 सांवता को अपने पिता समान पिता मानने से वरवक्त विक्रय पत्र

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

(2)

वादी के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर माधूलाल दत्तक पुत्र सांवता व माधू पुत्र सांवता टाईप करवा दिया चूंकि वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है व वादी के पिता व वादी के पिता के भाई सांवता संयुक्त परिवार में रहने के कारण वादी ने कभी राजस्व रिकार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया तथा विक्रय पत्र से जरिये क्रय शुदा आराजी को क्रय करने के उपरान्त काबिज होकर आराजी को उन्नत व उपज बनाता रहा है इसलिए वादी को आज तक उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में माधूलाल दत्तक पुत्र सांवता व माधू पुत्र सांवता का इन्द्राज होने से इल्म नहीं हुआ है। वादी अपनी क्रय शुदा आराजी को अधिक उन्नत व उपजाऊ बनाने के लिये राजस्थान सरकार से मिलने वाली सुविधा लेने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त होने पर वादी को ज्ञात हुआ कि उक्त विक्रय पत्र में सहवन से टाइपिंग करते वक्त वादी माधूलाल दत्तक पुत्र सांवता व माधो पुत्र सांवता हो गया तथा वादी के भाई छोगालाल पुत्र रामनारायण होना चाहिये तथा माधूलाल व छोगालाल दोनो स्व0 रामानाराण के सगे पुत्र है व दोनो सगे भाई है व गलत टाईपिंग से सहवन से दर्ज वादी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में माधो पुत्र सांवता व माधोलाल पुत्र मु0 सांवता इन्द्राज होता चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स, मतदान कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य खातेदारी आराजी में वादी का सही नाम माधोलाल पुत्र रामनारायण दर्ज है तथा वादी उक्त नाम से जाना व पहचाना जाता है व समस्त कार्यवाही करता है इसलिये उक्त विक्रय पत्र में सहवन से की गई टाईपिंग मिस्टेक को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम माधोलाल पुत्र रामनारायण की वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 13.12.2023 को वादी ने उक्त विक्रय पत्र मे दर्ज माधूलाल दत्तक पुत्र सांवता व माधु पुत्र सांवता सहवन से की गई टाईपिंग के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज माधो पुत्र सांवता व माधोलाल पुत्र मु0 सांवता के स्थान पर सही नाम माधोलाल पुत्र रामनारायण इन्द्राज करने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया व न्यायालय में जाकर चाराजोही करने बाबत कहा इसलिये वादी को अपने हक—हकूको की रक्षार्थ हेतु प्रतिवादी के खिलाफ दावा घोषणा व इन्द्राज दूरस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 13.12.2023 को प्रतिवादी के द्वारा वादी के माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता के स्थान पर माधोलाल पुत्र रामनारायण दुरूस्त करने बाबत कहा तो

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया व न्यायालय में जाकर चाराजोही करने की कहे जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो अन्दर मियाद है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने कारण वादी के वाद की सुनवाई व निस्तारण का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की ग्राम फागी उत्तर के ख0नं0 454 में छोगालाल पुत्र रामनारायण हि0 1/2 व माधोलाल पुत्र मु0 सांवता हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह व ख0नं0 453 में खातेदार माधो पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान हाल जमाबन्दी अनुसार ख0नं0 453 में खातेदार माधो पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा0 देह व ख0नं0 454 के छोगालाल पुत्र रामनारायण हि0 1/2 व माधोलाल पुत्र मु0 सांवता हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है। फर्द मौका अनुसार माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता के स्थान पर माधोलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार किया जाना उचित है। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी एवं माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता एक ही व्यक्ति के नाम है। कार्यालय नगर पालिका फागी के द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक/न.पा.फागी/2024–25/sp1-01 दिनांक 06.05.2024 में बताया कि माधोलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी फागी का रहने वाला है। माधोलाल के पिता का नाम रामनारायण है। विक्रय पत्र करवाते समय टाईपिंग मिस्टेक से माधोलाल पुत्र दत्तक पुत्र सांवता हो गया है। जब की माधोलाल का वास्तविक पिता रामनारायण है।

साक्ष्य हेतु वादी ने स्वंय का व छोगालाल पुत्र रामनारायण जाति गूर्जर निवासी फागी तह0 फागी जिला दूदू के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 453 मे वादी का नाम माधो पुत्र सांवता हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह खातेदार व खाता सं0 454 में वादी का नाम माधोलाल पुत्र मु0 सांवता हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता व माधोलाल पुत्र रामनारायण एक ही व्यक्ति होने का कथंन किया है। गवाह ने भी अपने शपथ पत्र मे वादी का सही नाम माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता के स्थान पर माधोलाल पुत्र रामनारायण दुरूस्त किये जाने का समर्थन किया है। वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे एवं तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब मय फर्द मौका व गवाहान के बयान के

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

आधार पर न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. सं. 453 के आराजी खसरा नं. 1109, 1112 कुल किता 02 कुल रकबा 1. 3784 हैक्टेयर, खाता सं0 454 के आराजी खसरा नं. 1253, 1259 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता के स्थान पर माधोलाल पुत्र रामनारायण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/5/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

माधोलाल बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 02/2024
निर्णय दिनांक 30.05.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

माधोलाल पुत्र रामनारायण जाति गूर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 02/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी सुनील कुमार जोशी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 453 के आराजी खसरा नं. 1109, 1112 कुल किता 02 कुल रकबा 1.3784 हैक्टेयर, खाता सं0 454 के आराजी खसरा नं. 1253, 1259 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7966 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन माधोलाल पुत्र मु0 सांवता व माधो पुत्र सांवता के स्थान पर माधोलाल पुत्र रामनारायण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज **NIL** मुबलिग **NIL** बाबत **NIL** खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह **NIL** फीसदी. **NIL** सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक **NIL** का अदा करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना – अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2024 को जारी की गई।

30/5/24

दस्तखत........................
उपखण्ड अधिकारी
मोहर............
फागी, जिला–दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		NIL
महन्ताना वकील		NIL	महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

30/5/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू